हमारी विरासत

1.1 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से राष्ट्रीय मुक्ति के लिए भारतीय जनता के संघर्ष की साम्राज्यवाद विरोधी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व प्रगतिशील विरासत का उत्तराधिकारी होने पर गर्व करती है। एस.एफ. आई. ने देश के उस प्रगतिशील छात्र आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाया है जिसने हमेशा ही अपने आपको सामाजिक बदलाव के व्यापक संघर्ष का अभिन्न हिस्सा माना है। यही वह विरासत है जिसका उद्घोष स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने नारे- ''स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद'' में किया है।

1.2 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया इस सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकती कि हमारे देश को सदियों तक औपनिवेशिक गुलामी और विदेशी साम्राज्यवादियों व देशी सामंतवाद के भयानक शोषण का सामना करना पड़ा। इस स्थिति ने बड़े पैमाने पर गरीबी, भुखमरी, बदहाली के साथ ही सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया और बहुमत जनता को अमानवीय जीवन जीने को मजबूर किया। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बढ़ती चेतना के कारण उस सामाजिक सुधार आंदोलन का जन्म हुआ जिसका नेतृत्व महान् विवेकी चिन्तकों ने किया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद और सामंतवाद के खात्मे के लिए जनता के संघर्ष ने आजादी के ऐतिहासिक राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा किया, जिसमें छात्रों ने सक्रिय भूमिका अदा की।

1.3 12 अगस्त 1936 को ऑल इंडिया स्टूडेन्ट्स फैडरेशन की स्थापना भारतीय छात्र समुदाय के भीतर मौजूद प्रगतिशील, क्रान्तिकारी रूझानों के मजबूत होने और भारत में संगठित छात्र आंदोलन की शुरूआत को चिन्हित करती है। ए.आई.एस.एफ. का अपना एक विशिष्ट चरित्र था जिसके कारण उसने साम्राज्यवाद विरोधी नारे के पीछे अलग-अलग राजनीति से संबंध रखने वाले छात्रों को अपने दायरे में संगठित किया। इसके साथ ही दुनिया के पैमाने पर औद्योगिक रूप से विकसित पूंजीवादी देशों में गहराते संकट के मुकाबले सोवियत संघ में तेजी से हो रही तरक्की ने भी छात्रों को वामपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित किया।

1.4 ए.आई.एस.एफ. के गठन के शुरूआती वर्षों में चली बहस ने उन दो बुनियादी स्थापनाओं को स्पष्ट किया, जिनसे प्रगतिशील छात्र आंदोलन निर्देशित होता आया है। एक तो यह कि छात्रों को अपने हकों की हिफाज़त के साथ ही एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने आपको संगठित करने की जरूरत है जो हमारी जनता के बहुमत की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और दूसरी यह कि ऐसा संघर्ष तभी सफल हो सकता है

जब उसे जनता के दूसरे तबकों के व्यापक संघर्षों के साथ जोड़ा जाए।

1.5. दूसरे विश्व युद्ध में फासीवाद की निर्णायक हार के बाद का समय उपनिवेशवाद के खिलाफ विश्व पैमाने पर जबर्दस्त लोकप्रिय प्रतिरोधों का समय था। इस दौर में बहुत से देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने जोर पकड़ा और भारत भी इसका अपवाद नहीं था। ए.आई.एस.एफ. न केवल इन जन संघर्षो के पक्ष में खड़ी थी बल्कि कई अवसरों पर उसने इनमें अहम् भूमिका अदा की। इन संघर्षों के फलस्वरूप आखिर हमारे देश ने राजनैतिक आजादी हासिल की। इसी दौर में अंग्रेजों की मदद से साम्प्रदायिक विभाजन भी गहरा होता चला गया जिसका नतीजा हमारे देश के विभाजन के रूप में सामने आया।

1.6 सन् 1947 में देश की आजादी के साथ ही ये उम्मीदें भी बलवती हुईं कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रगतिशील और जनवादी आदर्शों को साकार किया जायेगा। शुरूआती दशकों में जनवादी राजनीति के निर्माण और अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक ठहराव को तोड़ने क दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी दर्ज की गईं मगर यह सब हमारी करोड़ों जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी था। ऐसा इसलिए था कि विकास के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ही अंतर्विरोधों की शिकार थी। नये निज़ाम द्वारा भूस्वामियों के साथ ऐतिहासिक समझौता कर अपनाया गया विकास का पूंजीवादी रास्ता, इसका केंद्रीय अंतर्विरोध था। इसका नतीजा यह हुआ कि सामंती और अर्धसामंती रिश्तों का शिकंजा अक्षुण बना रहा जिसके चलते आर्थिक विकास और जनतंत्र का टिकाऊ आधार नहीं बन सका। शिक्षा के क्षेत्र में भी, आजादी के बाद के कुछ वर्षों में प्रगति होने के बावजूद कुल मिलाकर इसका लाभ केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त तबके को ही मिल पाया और सार्वभौमिक व अनिवार्य प्राईमरी शिक्षा का संवैधानिक निर्देश अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका।

1.7 शासक वर्ग की नीतियों के बारे में अलग-अलग मूल्यांकनों ने छात्र आंदोलन में गंभीर मतभेद पैदा कर दिये। नेतृत्व के एक हिस्से ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों के समर्थन पर जोर देकर छात्र आंदोलन को सरकार की नीतियों का पिछलग्गू बनाने का प्रयास किया। दूसरी ओर सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले खेमे ने छात्र समुदाय को लामबंद करने पर जोर दिया। पहले खेमे के दबदबे के चलते साठ के दशक तक आते-आते कांग्रेस सरकार की छात्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की ए.आई. एस. एफ. की क्षमता जाती रही। इस स्थिति ने विभिन्न राज्य इकाईयों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बाध्य किया। ए.आई. एस. एफ. के गौरवशाली अतीत की परंपरा को कायम रखने के लिए एक नये संघर्षशील संगठन का निर्माण जरूरी हो गया। इसी जरूरत

को पूरा करने के लिए तिरूवनंतपुरम में 27 से 30 दिसम्बर 1970 तक आयोजित एक अखिल भारतीय सम्मेलन में स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (एस.एफ.आई.) की स्थापना हुई।

1.8 एस.एफ.आई. ने अपनी स्थापना के वक्त से ही ''शिक्षा और संघर्ष'' के अपने नारे को सफलतापूर्वक चरितार्थ किया है और सामाजिक क्रांति का नेतृत्व छात्र समुदाय के पास होने की बात करने वाले ''छात्र शक्ति'' के विध्वंसक सिद्धांत का प्रभावी रूप से मुकाबला किया। स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया जनवादी अधिकारों पर हमलों के खिलाफ दृढ़तापूर्वक खड़ी रही है और आपातकाल लागू किये जाने के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी। ''सबको शिक्षा-सबको काम'' के इसके नारे ने देश के छात्र समुदाय के भीतर प्रभावशाली अपील दर्ज करने के साथ ही उन्हें आंदोलन और संगठन के दायरे में लाने का काम किया है। स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया निरन्तर, दुनिया के पैमाने पर साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के पक्ष में खड़ी रही है।

1.9 सन् 1986 में लाई गई नई शिक्षा नीति के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के उपर एक नया हमला सामने आया। स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया ने इस नई नीति के प्रस्तावों के तहत शिक्षा क्षेत्र में सरकार की भूमिका जबर्दस्त रूप से कम करने के कदमों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष छेड़ने की पहलकदमी की। एस.एफ.आई. अपनी सैद्धांतिक समझदारी के चलते मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में चली आरक्षण विरोध की मुहिम का सफलतापूर्वक सामना कर पाई। देश की एकता और अखंडता, साम्प्रदायिक सद्भाव, सामाजिक न्याय की हिफाजत के लिए एस.एफ.आई. ने संघर्ष किया है और ऐसा करते हुए जान की कुर्बानियां दी हैं।

1.10 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है कि हमारे देश पर नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों का थोपा जाना जनता के व्यापक हिस्से के लिए विनाशकारी है। ये छात्रों के व्यापक तबकों को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर रही हैं। दूसरी ओर धुर दक्षिणपंथी साम्प्रदायिक ताकतें घृणा और धार्मिक उन्माद की अपनी राजनीति को फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था की जनवादी और धर्मनिरपेक्ष विषयवस्तु को दरकिनार करते हुए विभिन्न समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, छात्रों के हकों और हमारे गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष, जनवादी चरित्र और उसकी सम्प्रभुता को बचाने के इस दोहरे संघर्ष में हमेशा अगली कतार में रही है।

1.11 छात्र समुदाय की पिछली पीढ़ियों ने ब्रिटिश शासन से राजनैतिक आजादी हासिल करने के संघर्ष में अपनी गौरवशाली और शानदार भूमिका अदा की। उनका अनुसरण करते हुए हमारी पीढ़ी की यह ऐतिहासिक और देशभक्त जिम्मेदारी है कि हम प्राधीनता की तमाम सड़ी-गली विरासतों, पिछड़ेपन और दरिद्रता को मिटाने के संघर्ष में अपना सक्रिय योगदान देकर अपनी जनता के वास्तविक रूप से स्वतंत्र, गौरवशाली, समृद्ध एवं प्रगतिशील भविष्य को सुनिशिचत करें। स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, छात्र समुदाय के सामने एक ऐसा कार्यक्रम पेश करती है जो उन्हें एक जनवादी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील शिक्षा-व्यवस्था को हासिल करने के संघर्ष में दिशा निर्देश प्रदान करेगा। यह हर तरह के शोषण से मुक्त समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए अपने संघर्ष को निरन्तर और हर कीमत पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा दष्टिकोण

2.1 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, एक जनवादी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था को कायम कर सबको शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के हमारे देश के छात्र समुदाय के प्रयासों को नेतृत्व प्रदान करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। छात्र समुदाय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और उनके जीवन और शिक्षा की परिस्थितियों में सुधार और बेहतरी समाज के चौमुखी विकास पर निर्भर है। इसलिए छात्र समुदाय को देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों और उसके चौमुखी विकास और प्रगति में रूचि लेना आवश्यक है।

2.2 शिक्षा और रोजगार के अवसरों, काम के अधिकार की प्रत्येक मांग व भाषण, सभा, संगठन जैसे नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठी हर आवाज, अन्याय एवं उत्पीड़न के विरूद्ध प्रकट किया गया विरोध इन सभी बातों का संबंध निश्चित रूप से राज्य और सरकार की नीतियों से जुड़ा होता है। इसलिए इन सभी बातों का चरित्र भी राजनैतिक हो जाता है। इस सच्चाई को जान लेने के बाद भी ''छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए'' और ''शिक्षा गैर राजनैतिक होनी चाहिए'' जैसे दिवालिया नारों के साथ सहमति व्यक्त करना पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया की यह स्पष्ट समझ है कि इन धोखा देने वाले नारों के पीछे भी दरअसल एक प्रतिक्रियावादी, स्वार्थी राजनीति है, जो छात्र समुदाय के भीतर राजनैतिक अज्ञानता को कायम रखना चाहती है ताकि शासक वर्गों की जनविरोधी नीतियों के घातक प्रभावों को छात्रों से छिपाया जा सके और ऐसा करते हुए रूढ़िवादी, शोषणकारी समाज व्यवस्था को बनाये रखा जा सके।

2.3 पांच दशक से ज्यादा की आजादी के बाद भी राज्य सभी बच्चों को सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा मुहैया करा सकने में बुरी तरह असफल रहा है। लाखों बच्चे चाह कर भी स्कूल नहीं जा पाते और घोर गरीबी के चलते बाल मजदूरी करने को विवश हैं। इन बच्चों और उनके परिवारों की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों में पूरा बदलाव लाये बिना न तो बाल मजदूरी की बुराई को रोका जा सकता है और न ही बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं की संख्या में जो कुछ भी विस्तार हुआ है वह कुछ विशेषाधिकार प्राप्त तबकों तक सीमित रहा है और हमारी मेहनतकश जनता के बहुमत तबके अभी भी शिक्षा (प्राइमरी से विश्वविद्यालय) तक अपनी पहुंच नहीं रखते। बड़े पैमाने पर व्यापारीकरण और राज्य द्वारा शिक्षा पर पैसा खर्च करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की नीति ने, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का दम घोंट दिया है नतीजन शिक्षा की गुणवत्ता और उस तक पहुंच रखने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट आयी है।

2.4 एफ.एफ.आई. का मत है कि सबको शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्त्तव्य है। पिछली सदी के आखिरी दशक में नव-उदारवादी सुधारों को तेजी से लागू करने के चलते देश में शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से सरकार पीछे हटी है। राज्य की इस असफलता के कारण निजि शिक्षण संस्थायें कुकुरमुतों की तरह पूरे देश में उग आयी हैं जिनमें फीस, दाखिला नीति और जनवादी अधिकारों के साथ मनमाना सलूक किया जा रहा है। इस सच्चाई की पृष्ठभूमि में एस.एफ.आई. मांग करती है कि सरकार उच्च शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी का पालन करे और निजि शिक्षण संस्थाओं में दाखिले, फीस और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संदर्भ में सामाजिक नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करे।

2.5 एस. एफ.आई. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की इसलिए भी आलोचना करती है क्योंकि वह उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के विकास को गति देकर हमारे देश में मौजूद तरक्की की क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में औपनिवेशिक प्रभाव अभी तक कमोबेश वैसा ही है। केंद्र सरकार ने देश के संघीय ढांचे पर लगातार चोट करने का प्रयास किया है और शिक्षा के बारे में नीतियां बनाने के मामले में उसकी कोशिश तमाम अधिकार अपने भीतर निहित कर लेने की रही है। शैक्षणिक समुदाय खासतौर पर छात्र समुदाय के जनवादी अधिकारों पर हमला आम हो गया है। संगठित होने और प्रतिनिधियों को चुनने के उनके बुनियादी अधिकार को छीना जा रहा है और इस हमले के खिलाफ छात्रों के प्रतिरोध का अक्सर निर्ममतापूर्वक दमन किया जाता रहा है।

2.6 गम्भीर रूप से बिगड़ती रोजगार की स्थिति ने देश में नौजवानों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। संकुचित होते सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजि औद्योगिक व सेवा क्षेत्र में गतिशीलता के अभाव ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि को रोक दिया है। आमतौर पर युवाओं में और खासतौर पर शिक्षित युवाओं में बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी ने उनकी शिक्षा पर किये गये भारी सामाजिक और भौतिक निवेश को बर्बाद कर दिया है।

2.7 शिक्षा और उसके विकास से जुड़ी समस्याओं या बेरोजगारी के संकट को समूचे सामाजिक-आर्थिक परिवेश से अलग करके नहीं समझा जा सकता। एक और सामंती भूमि संबंधों ने और दूसरी ओर एकाधिकारी तथा साम्राज्यवादी पूंजी के प्रभुत्व ने हमारे देश की औद्योगिक गति पर अंकुश लगा रखा है। व्यापक भूमि सुधारों के अभाव में कृषि आय आज भी कुछ ही लोगों की मुट्ठी में कैद है। इस स्थिति में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज गति मिलना असंभव है। इजारेदार एवं विदेशी पूंजी, पहले से मौजूद अपेक्षाकृत छोटी ईकाईयें को बंद हो जाने के लिए मजबूर करती है। इन रूकावटों के चलते औद्योगीकरण की प्रक्रिया कभी भी निरंतर गति नहीं पकड़ सकती है। इस प्रकार का असंतुलित औद्योगीकरण, रोजगार के अवसर पैदा करने और श्रम शक्ति की प्रभावी मांग पैदा करने में असफल रहा है। अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षित श्रम शक्ति की मांग न होने के कारण शिक्षा के प्रसार एवं विकास की स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया भी पिछड़ गई है। अन्ततः रोजगार के व्यापक विस्तार, शिक्षा और समृद्धि भी पिछड़ गई है। अन्तत रोजगार के व्यापक विस्तार, शिक्षा और समृद्धि के लिए वास्तविक अर्थव्यवथा-उद्योग और कृषि का वास्तविक और प्रभावी विकास होना जरूरी है। इस समझदारी के तहत हमारे देश में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने के साथ ही शिक्षा के विस्तार और विकास के उद्देश्य को पाने के लिए यह जरूरी है कि भूमि सुधार लागू किये जायें और इजारेदार व साम्राज्यवादी पूंजी के शिकंजे को तहस-नहस किया जाये।

2.8 किसी देश की बौद्धिक आत्मनिर्भरता के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा पर वैश्वीकरण का हमला साम्राज्यवाद की उस उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत साम्राज्यवाद अपने आधिपत्य को कायम करने के लिए तीसरी दुनिया के उच्च शिक्षा संस्थानों की प्राकृतिक और समाज विज्ञान के क्षेत्र में विचार और शोध करने की स्वतंत्रता को छीन कर उन्हें बर्बाद कर देना चाहता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में विचार और शोध की आजादी किसी देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को बनाये रखने के लिए जरूरी होती है। एस.एफ.आई. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में तत्काल आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता को महसूस करती है। शिक्षा के तमाम स्तरों पर पहुंच के अवसरों की समानता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एस.एफ.आई. एक

ऐसी वैज्ञानिक और जनवादी शिक्षा व्यवस्था की मांग करती है जो छात्रों की तमाम क्षमताओं और विशेष अभिरुचियों को सामने ला सके, उनका विकास कर सके, जिससे कि हमारी जनता और देश के तीव्र विकास का आधार मजबूत हो सके।

2.9 सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवाद को लगे धक्के से अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के लिए अपनी आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक ताकत का आक्रामक इस्तेमाल करते हुए दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया। अपने प्रभुत्व को बनाये रखने और वैश्वीकरण के नये आर्थिक सुधारों के शोषणकारी चरित्र से ध्यान हटाने के लिए साम्राज्यवाद ने लुटेरे युद्धों का सहारा लिया है। अमरीका नाभिकीय हथियारों के अपने विशाल भंडार के साथ आक्रामक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और ऐसा करते हुए बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और संधियों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय विश्व मंचों को अनसुना कर उनका अपमान कर रहा है। एस.एफ.आई. विश्व शांति और नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की घोषणा करती है और साम्राज्यवादी प्रभुत्व के खिलाफ स्वतंत्रता, जनवाद, भौगोलिक अखंडता, राष्ट्रीय स्वाधीनता व समाजवाद के लिए संघर्षरत दुनिया की तमाम प्रगतिशील ताकतों के साथ अपनी बिरादराना एकजुटता को व्यक्त करती है। एस.एफ. आई. अमरीकी साम्राज्यवाद की, मानवता के सबसे प्रमुख शत्रु के रूप में कड़ी भर्त्सना करती है और साम्राज्यवाद को हमेशा के लिए उखाड़ फैंकने के संघर्ष में दुनिया की तमाम प्रगतिशील साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों के साथ अपनी एकता की घोषणा करती है।

2.10 साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के द्वारा पैदा की गई असुरक्षा और लूट ने कट्टरपंथी और उग्र राष्ट्रवादी ताकतों के फलने-फूलने के लिए जमीन तैयार की है। जनता की एकता को तोड़ने की इनकी क्षमता के कारण अक्सर इन ताकतों को साम्राज्यवाद का समर्थन मिलता रहा है। इसके साथ ही इन ताकतों के द्वारा फैलायी जाने वाली हिंसा और साम्राज्यवादी आक्रमण एक दूसरे में अपनी वैधता को तलाशते हैं। सभी प्रकार का आतंकवाद और कट्टरता हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए गम्भीर खतरा पैदा करते हैं। एस.एफ.आई. आतंक के मुकाबले के नाम पर राज्य द्वारा जनवादी हकों पर अंकुश लगाने का भी विरोध करती है। एस.एफ.आई. देश की एकता और अखंडता की रक्षा करती है और यह यकीन करती है कि छात्रों और दूसरी लोकप्रिय लामबंदी से ही इसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

2.11 हमारे देश में इन विभाजनकारी प्रवृतियों का सबसे खतरनाक रूप संघ परिवार की सांप्रदायिक-फासीवादी राजनीति की शक्ल में सामने आया है। साम्प्रदायिक ताकतें,

शिक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल सांप्रदायिक ज़हर फैला कर अपने हित साधने के लिए कर रही हैं। देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने के लिए वे कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहीं। यह बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता फिर अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता को जन्म देती है और इस तरह दोनों ही जनता के हितों की दुश्मन हैं।

2.12 उदारवाद का दौर जनता के जनवादी अधिकारों पर बढ़ते हमलों का भी दौर है। न्यायपालिका, जिसे अधिकारों की रक्षक माना जाता है, भी इन नीतियों से काफी हद तक प्रभावित हुई है जैसा कि एक के बाद एक आये जनविरोधी फैसलों से पता चलता है। इसके साथ ही, न्यायपालिका के एक हिस्से में व्याप्त भ्रष्टाचार ने भी लोगों के विश्वास को डिगाने का काम किया है। हालांकि, सिद्धांत के रूप में अमीर और गरीब दोनों बराबर हैं मगर न्याय व्यवस्था दरअसल शोषक वर्गों के हित साधने का ही काम कर रही है।

2.13 छात्र आंदोलन, मजदूरों, किसानों और अन्य प्रगतिशील ताकतों के व्यापक जनवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग है। छात्र आंदोलन अपनी तात्कालिक दैनिक मांगों तथा लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति, देश की तमाम प्रगतिशील व जनवादी ताकतों के संयुक्त और एकजुट प्रयासों के बिना नहीं कर सकता। एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज व्यवस्था के लिए संघर्ष में देश की तमाम जनवादी ताकतों की एकता के महत्व के बारे में एस.एफ.आई. बराबर अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों व व्यापक छात्र समुदाय को शिक्षित करती रहेगी। एस.एफ.आई. जहां मजदूरों, किसानों और मध्य वर्ग के जनवादी आंदोलन का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना चाहती है वहीं इन तबकों के आंदोलनों और आकांक्षाओं के प्रति अपने सहयोग और समर्थन के संकल्प को भी दोहराती है। एस.एफ.आई. मजदूरों, किसानों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के हर तरह के शोषण और उन पर दमन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है।

2.14 प्रगतिशील दृष्टिकोण की वाहक होने के नाते एस.एफ.आई. वैज्ञानिक समाजवाद क्या है और उसे हासिल करने के औचित्य और तरीकों पर खुली और स्वतन्त्र बहस को बढ़ावा देने की पक्षधर है। एस.एफ.आई. अपने आपको एकजुट और व्यापक आधार वाला छात्र जनसंगठन होने की घोषणा करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्र समुदाय की भलाई और उन्नति के लिए काम करना है। एस.एफ.आई. अपने स्वतंत्र, वैज्ञानिक, प्रगतिशील, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष चरित्र की पूरे उत्साह एवं निष्ठा के साथ हिफाजत करने की शपथ लेती है।

लक्ष्य और उ े य

3.1 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, देश के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के साथ ही विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय मूल के छात्रों को अपने झण्डे के नीचे संगठित करने और छात्र समुदाय की बेहतरी और उत्कर्ष के लिए एक ताकतवर एवं सुगठित छात्र आंदोलन का निर्माण करने का जिम्मा अपने उपर लेती है।

3.2 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, सबको शिक्षा और सबको काम सुनिश्चित कर सकने वाली एक जनवादी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की स्थापना के अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षरत है, जिसे व्यापक भूमि सुधारों को लागू कर एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी व स्वदेशी इज़ारेदार पूंजी के शिकंजे तथा प्रभाव का समूल नाश करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मजदूरों, किसानों और अन्य प्रगतिशील ताकतों के वृहतर जनवादी आंदोलन के साथ संगठित छात्र समुदाय को जोड़कर इस काम को पूरा करना एस. एफ. आई. का लक्ष्य है।

3.3 एक अग्रगामी और प्रगतिशील छात्र संगठन होने के नाते एस. एफ. आई. अपने झंडे पर ''स्वाधीनता, जनवाद और समाजवाद'' अंकित करेगी। इसी परिपेक्ष्य के कारण ही स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, एक शोषणविहीन समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध और सतत् प्रयत्नशील है। एस.एफ.आई. हमारी जनता और देश की मुक्ति के संघर्ष में बाधा खड़ी करने वाले तमाम तरह के गलत रूझानों और प्रवृतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है।

3.4 छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण, संस्कृति और मनोरंजन की सुविधाओं के साथ अन्य शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों से युक्त एक संपूर्ण और सारगर्भित शिक्षा के लिए, जिस तक सभी छात्रों की पहुंच हो, एस.एफ.आई. बराबर प्रयत्नशील रहेगी। एस.एफ.आई. छात्रों के सभी वाजिब और जनवादी अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेगी। यह संगठन छात्रों के जनवादी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति व आचरण के अधिकार, यूनियन और संगठन बनाने, सभा करने, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन में भागेदारी करने व छात्र जीवन की शैक्षणिक व अन्य पहलुओं से संबंधित गतिविधियों के अधिकारों को हासिल करने के लिए काम और संघर्ष करेगी। एस.एफ. आई. छात्रों के भीतर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए काम करेगी। यह संगठन अध्यापकों, कर्मचारियों, अभिभावकों, छात्रों और शेष शैक्षणिक समुदाय के बीच करीबी रिश्तों को बनाने और उनके बीच परस्पर आदर और सम्मान को

बढ़ाने के लिए काम करेगा। एस.एफ.आई. छात्रों और शैक्षणिक समुदाय के अन्य तबकों के बीच मतभेद पैदा करने की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध करेगी। यह संगठन, छात्र समुदाय को हमारी जनता के अन्य जनवादी और मेहनतकश तबकों से अलग करने की हर कोशिश का विरोध करेगा।

3.5 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, जहां छात्र समुदाय द्वारा ज्ञान और प्रबुद्धता हासिल करने के लिए कला और विज्ञान के अनथक अध्ययन पर जोर देती है वहीं राजनैतिक और सामाजिक ज्ञान व चेतना को बढ़ाने के लिए इन विषयों में उनकी दिलचस्पी पैदा करने पर भी जोर देती है, ताकि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने पर छात्र इस तरह से परीपूर्ण व जागरुक हों कि वे तेजी से बदल रहे हमारे समाज में चेतनासंपन्न जागरूक नागरिक की भूमिका का निर्वाह कर सकें।

3.6 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, संकल्प करती है कि वह धर्म, जाति, लिंग, भाषा और नस्ल से ऊपर उठकर सबकी समानता के लिए संघर्ष करेगी और इस संघर्ष का हिस्सा होने के नाते समाज के सुविधाहीन वर्गों, जातियों, जनजातियों, समुदायों, महिलाओं व अन्य वंचित पीड़ित तबकों के सशक्तीकरण के संघर्ष के प्रति संघर्षशील व प्रतिबद्ध रहेगी। यह संगठन भाषायी, जातीय, नस्ली व अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत के लिए संघर्षरत रहेगा। एस.एफ.आई. अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों को चलाने और उनका प्रबंधन करने के संविधान प्रदत अधिकारों का दृढ़ता से समर्थन करती है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऐसे संस्थानों को मुनाफाखोरी के लिए या अतार्किक और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार के लिए इस्तेमाल न किया जाये।

3.7 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, धर्मनिरपेक्षता और राज्य-राजनीति से धर्म को पूरी तरह अलग रखने के पक्ष में मजबूती से खड़ी है। एस.एफ.आई. सभी प्रकार के धार्मिक कट्टरपन, सांप्रदायिकता की खिलाफत का स्पष्ट ऐलान करती है और हर प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा, आतंक खासतौर पर सांप्रदायिक फासीवाद से लड़ने की शपथ लेती है। सांप्रदायिक ताकतें छात्र समुदाय को बांटकर शिक्षा और रोजगार के हकों के लिए उनके संघर्षों को कमजोर करती हैं। एस.एफ.आई. छात्रों और वृहतर जनता की एकता को धर्मिक व सांप्रदायिक आधार पर तोड़ने की तमाम कोशिशों का हर हाल में मुकाबला करेगी और राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और जनता की देशभक्त एकता को मजबूत करने के लिए बराबर कार्य करेगी।

3.8 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, जीवन के हर क्षेत्र में सभी प्रकार के लैंगिक

भेदभाव और दमन का पुरजोर विरोध करती है। सती प्रथा और दहेज जैसी कुरीतियों का प्रचलन हमारे देश में महिलाओं की खराब स्थिति को बयान करता है। एस.एफ.आई. सामंती अवशेषों, पुरातनपंथी विचारों और पूंजीवाद के तहत महिलाओं को वस्तु में बदलने वाले विचारों की शह पर मौजूद तमाम पुरूष प्रधान मूल्यों ओर रिवाजों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। एस.एफ.आई. महिला मुक्ति के लिए संघर्ष करेगी और लड़कियों के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की मांग करती है। एस.एफ.आई. एक प्रगतिशील और लैंगिक संवेदनशीलता के मूल्यों वाले पाठ्यक्रम को हासिल किये जाने के पक्ष में है और प्रयासरत है।

3.9 एस.एफ.आई. सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का प्रबल विरोध करती है। एस.एफ.आई. छुआछूत की अमानवीय प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्षरत है। यह सभी प्रकार के सामाजिक दमन और जाति प्रथा के खात्मे के लिए भी संघर्ष करती है। यह संगठन दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों व समुदायों की शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण की हिमायत करता है और मांग करता है कि इसे निजि क्षेत्र में भी लागू किया जाये। एस.एफ.आई. का यह दृढ़ मत है कि आर्थिक, क्षेत्रीय व लैंगिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। यह संगठन आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों को पूरा करने के साथ ही जहां जरूरी हो अन्य वंचित वर्गों (शारीरिक रूप से विकलांग आदि) के लिए भी नये प्रावधान बनाने के पक्षा में अपनी आवाज बुलंद करता है।

3.10 एस.एफ.आई. भाषाई, क्षेत्रीय, प्रादेशिक और जातीय आधार पर हर किस्म के संकीर्ण, अलगाववादी आत्म केन्द्रित अंधराष्ट्रवाद का पुरजोर विरोध करती है। एस.एफ.आई. सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर देते हुए राष्ट्रीय एकता की हिफाजत और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्र के संघीय चरित्र की मजबूती के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता संबंधों के पुनर्गठन की मांग करती है। एस.एफ.आई. भारतीय संघ की भौगोलिक अखंडता के दायरे में विभिन्न राष्ट्रीयताओं की भौतिक व सांस्कृतिक विकास की आकांक्षाओं का पूरा समर्थन करती है और राज्य की दमनात्मक और सत्तावादी नीतियों के खिलाफ उनके जायज और जनवादी संघर्षों को पूर्ण सहयोग का वादा करती है।

3.11 मुनाफाखोरी के एकमात्र उद्देश्य व सामाजिक रूप से गैर योजनाबद्ध एवं अनियंत्रित पूंजीवादी विकास के रास्ते ने पर्यावरण को खतरनाक रूप से नुकसान पहुंचाया है। एस.एफ.आई. पर्यावरण को क्षति न पहुंचाने वाले विकास की पक्षधर है और

पर्यावरण को बनाये और बचाये रखने के लिए प्रगतिशील जनता के आंदोलन की हिमायत करती है।

3.12 हमारे देश में विद्यमान सांस्कृतिक विभिन्नता चहुंमुखी हमलों का सामना कर रही है। बाजारोन्मुख उपभोक्तावादी मूल्य जहां हमारी सांस्कृतिक बुनियाद को विकृत कर रहे हैं वहीं आक्रामक साम्प्रदायिकता 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के नाम पर मनुवादी सवर्ण संस्कृति को थोपना चाहती है। एस.एफ.आई. हमारी विविध एवं बहुलतावादी संस्कृति को विकृत करने की तमाम कोशिशों का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध करती है और औपनिवेशिक-सामंती संस्कृति के प्रभाव को दृढ़ता से नामंजूर करती है। यह संगठन, आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील और मानवीय मूल्यों पर आधारित जनसंस्कृति के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.13 एस.एफ.आई., देश के जनजातीय समुदायों के शोषण और विकास के दायरे से उन्हें बाहर रखे जाने के रवैये के खिलाफ संघर्ष कर उन्हें सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए, उनकी पहचान, भाषा और संस्कृति की हिफाजत के लिए काम करती है। इसी के साथ, एस.एफ.आई. जनजातीय समुदायों के अधिकारों की हिमायत करते हुए उनकी शिक्षा, कल्याण और अखंडता के लिए संघर्ष करती है। जनजाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा भारत के संविधान की पांचवीं व छठी अनुसूची के प्रावधानों के मुताबिक की जानी चाहिये। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के हमले के इस दौर में ऐसा किया जाना जरूरी है।

3.14 एस.एफ.आई. जनता की सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए देश के वृहतर जनवादी आंदोलन को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। एस.एफ. आई. अन्य प्रगतिशील ताकतों के साथ मिलकर जनता की जनवादी चेतना के निर्माण में बाधा डालने वाले सामंती, जातिवादी और कर्मकांडी मूल्यों के खिलाफ लड़ने के लिए वचनबद्ध है। अन्य जनवादी व प्रगतिशील ताकतों के साथ मिलकर सामंती भूमि संबंधों के खिलाफ लड़ाई के साथ ही जनता के विशाल मेहनतकश तबकों के बीच जनवादी चेतना पैदा करने के लिए एक क्रांतिकारी समाज सुधार आंदोलन का निर्माण करना एस.एफ. आई. के कार्यक्रम का अहम् हिस्सा है।

3.15 साम्राज्यवाद विरोधी, जनवादी और सामाजिक विचारों से प्रेरित, एक संगठन और एक आंदोलन के तौर पर एस.एफ.आई. साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के हमले और छात्र व जनता के जीवन में उसके हर प्रकार के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए

संकल्पबद्ध है। इसके साथ ही, एस.एफ.आई. साम्प्रदायिक व अलगाववादी ताकतों से देश की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। यह संगठन दुनिया की उन तमाम प्रगतिशील ताकतों के पक्ष में अपनी एकजुटता का इज़हार करता है, जो आजादी, स्वाधीनता, भौगोलिक अखंडता, जनवाद और समाजवाद के हक में और साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ हैं। एस.एफ.आई. दुनिया भर की प्रगतिशील, जनवादी और समाजवादी ताकतों के साथ नजदीकी संबंध और समन्वय हेतु काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और विश्व शान्ति, स्वाधीनता, जनवाद और समाजवाद की हिमायत में और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय छात्र आंदोलन के निर्माण के लिए आगे बढ़कर काम करेगी।

3.16 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, छात्रों, युवाओं और शैक्षणिक समुदाय के तमाम दूसरे संगठनों के साथ बिरादराना और दोस्ताना रिश्ते स्थापित करना चाहती है, जो स्वाधीनता, धर्मनिरपेक्षता, जनवाद, शान्ति और समाजवाद के लिए कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। यह संगठन, छात्र समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए, विशेष मुद्दों और मांगों पर उन सभी संगठनों के साथ एकता स्थापित करने व मिलकर काम करने को तैयार है जो ऐसा करने के इच्छुक हैं।

3.17 स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, छात्र समुदाय के सामने इस कार्यक्रम को पेश करती है और छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुद्धिजीवियों, मध्यम वर्गों, किसानों, मजदूरों और उन तमाम दूसरी ताकतों का, जो राष्ट्र की जनवादी तरक्की की हामी हैं, से आह्वान करती है कि वे इन कामों को पूरा करने और हमारी जनता का जीवन खुशहाल बनाने के लिए एकजुट हों।

संविधान

नाम

संगठन का नाम स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया होगा।

लक्ष्य

1. छात्र समुदाय के उत्कर्ष और उसकी बेहतरी के लिए एक शक्तिशाली और संगठित छात्र आंदोलन के निर्माण हेतु देश के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ ही विदेशों में अध्ययनरत भारतीय मूल के छात्रों को संगठन के झण्डे तले संगठित करना।

2. उपनिवेशवाद की हानिकारक विरासत के सफाये के संघर्ष में सक्रिय योगदान कर हमारी जनता के प्रगतिशील और खुशहाल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए देश में एक स्वतंत्र, जनवादी और समाजवादी समाज की स्थापना।

3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और देशी इजारेदार पूंजीवाद के शिकंजे को खत्म कर, व्यापक भूमि सुधारों को लागू कर सबको शिक्षा एवं रोजगार सुनिश्चित करने वाली जनवादी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली की स्थापना।

4. मजदूरों, किसानों और दूसरी प्रगतिशील ताकतों के वृहतर जनवादी आंदोलन के संघर्षों में छात्र समुदाय को संगठित करना और तात्कालिक मांगों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका सहयोग और समर्थन हासिल करना।

5. छात्र समुदाय के जनवादी हकों का हासिल करना।

- जनवादी एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति व व्यवहार का अधिकार।
- छात्र संघ व एसोसिएशन बनाने और सभा करने का अधिकार।
- शिक्षण संस्थानों के प्रबंध में और छात्र जीवन से जुड़े शैक्षणिक निकायों और अन्य मामलों में भागीदारी का अधिकार।

6. माध्यमिक स्तर तक मुफ्त एवं आवश्यक सार्वभौमिक शिक्षा और जमा दो स्तर तक हर प्रकार के स्कूली शुल्क की समाप्ति के लिए और सभी छात्रों को उपलब्ध हो सकने वाली, छात्रावास, खेलकूद, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों और सभी जरूरी शैक्षणिक सुविधाओं को हासिल करने के लिए काम करना। यह सुनिश्चित कराना कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृ भाषा में दी जाये।

7. शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार की गारंटी या रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ते और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शुमार करने के लिए संघर्ष करना।

8. धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर होने वाले हर किस्म के

दमन और भेदभाव के खिलाफ लड़ना और धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव, भाईचारे और बराबरी के लिए काम करना।

9. आज़ादी, राष्ट्रीय स्वाधीनता और समाजवाद के लिए दुनिया के पैमाने पर संघर्षरत प्रगतिशील ताकतों के साथ बिरादराना एकजुटता का इज़हार करना।

10. धर्मनिरपेक्षता, जनवाद और समाजवाद के लिए काम करने का संकल्प रखने वाले दूसरे सभी छात्र संगठनों के साथ बिरादराना और दोस्ताना रिश्ते स्थापित करना और खास मुद्दों और मांगों पर उनके साथ संयुक्त कार्यवाहियां करना।

झण्डा

सफेद पृष्ठभूमि पर बायीं ओर ऊपर की तरफ पांच कोने वाला लाल सितारा होगा। झण्डे के बीच में लाल रंग में ही स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद अंकित होगा। झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा।

छात्र संगठनों, सदस्यों एवं इकाईयों की सम्ब ता

1. एस.एफ.आई. भारत के किसी राज्य या राज्य के किसी हिस्से या किसी भी शिक्षण संस्थान के ऐसे छात्र संगठनों को अपनी सम्बद्धता की स्वीकृति दे सकती है जो एस.एफ.आई. के कार्यक्रम को स्वीकार करने के साथ-साथ उसके संविधान के अनुसार चलने के लिए तैयार हों तथा केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित न्यूनतम सदस्य संख्या की शर्त को पूरा करने में समर्थ हो।

2. स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, संबद्धता की इच्छुक किसी इकाई के प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क के रूप में हर शैक्षणिक सत्र के लिए अगर छात्र स्कूल में पढ़ता है तो 1 रूपया, अगर छात्र कॉलेज में अध्ययनरत है तो 2 रुपए एवं विदेश में अध्ययनरत भारतीय मूल के छात्रों से 2 डॉलर लेगी व संबद्धता शुल्क के रूप में सदस्यता शुल्क का 20 प्रतिशत एस.एफ.आई. की केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी को प्राप्त होगा।

3. प्रत्येक सदस्य से लिए जाने वाले संबद्धता शुल्क के अलावा, संगठन की प्रत्येक इकाई और संबद्ध संगठनों को पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष स्कूल इकाई को 5 रुपए, कॉलेज इकाई को 10 रुपए और विदेश में स्थित इकाई को 2 डॉलर एस.एफ.आई. केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी को देना होगा।

सदस्यता और सदस्यों के अधिकार व क व्यि

1. एक छात्र जिसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक हो या जो कक्षा 6 या उससे अधिक का छात्र हो, इनमें जो भी पहले हो, फिर वह किसी लिंग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और मत से संबंध रखता हो, यदि एस.एफ.आई. के उद्देश्यों और गतिविधियों से सहमति व्यक्त

करता है और स्कूल में अध्ययनरत होने पर 1 रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क, कॉलेज में अध्ययनरत होने पर 2 रुपए और यदि विदेश में अध्ययनरत है और 2 डॉलर, देने के लिए तैयार है तो वह सदस्य बनने के योग्य है। सदस्यता केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगी।

स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया का कोई सदस्य अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद भी अगले दो वर्षों तक सदस्य बना रह सकता है। इस समय के पूरा होने के बाद भी सम्मेलन ऐसे पूर्व छात्रों का कार्यकारिणी कमेटी या ऐसी कमेटी के पदाधिकारी के रूप में चयन कर सकता है।

2. प्रत्येक सदस्य को चुनने और चुने जाने के अधिकार के साथ ही स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, की कार्यकारिणी के समक्ष अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होगा।

3. सदस्य को इस्तीफा देने का अधिकार होगा।

4. सम्मेलन में स्वीकृत कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होगी। उन्हें स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के उद्देश्यों और गतिविधियों को प्रचारित करने का अधिकार होगा। प्रत्येक सदस्य को नियमित रूप से संगठन की पत्रिका का अध्ययन करने के साथ उसे लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

5. प्रत्येक सदस्य को संगठन के लिए चंदा इकट्ठा करने और स्वयं चंदा देने में योगदान करना चाहिए।

अनु ाासनात्मक कार्यवाही

1. यदि किसी सदस्य की गतिविधियाँ संगठन के हित और संविधान के प्रतिकूल हैं तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक रूप से चुनी गई कमेटी, जिसके अन्तर्गत उस सदस्य की सदस्यता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।

2. अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे सदस्य को कार्यवाही करने वाली कमेटी के समक्ष अपनी सफाई देने का अधिकार है।

3. किसी सदस्य को निष्कासित किये जाने की स्थिति में निष्कासन की कार्यवाही को अगली उच्च कमेटी के द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है। निष्कासित किये गये या अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे सदस्य को ऊपर की कमेटियों में और केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी तक अपील करने का अधिकार है।

4. केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी किसी भी ऐसी इकाई की, जो संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य कर रही हो, संबद्धता खत्म कर सकती है। राज्य इकाईयों को भी अपने अंतर्गत आने वाली इकाईयों के संबंध में ऐसा ही अधिकार है। इसमें इकाईयों को केंद्रीय कार्यकारिणी के सम्मुख अपील करने का अधिकार होगा। केंद्रीय कार्यकारिणी

कमेटी द्वारा किसी राज्य इकाई की संबद्धता को खत्म करने की कार्यवाही को आगामी अखिल भारतीय सम्मेलन में अनुमोदन के लिए पेश करना होगा।

संगठन का ढांचा

1. सम्मेलन
2. कार्यकारिणी
3. राज्य, जिला, जोन अथवा एरिया और संस्था के आधार पर संगठित संबंधित इकाईयाँ।

संगठन और उसके अधिकार

1. अखिल भारतीय सम्मेलन समूचे संगठन की सर्वोच्च इकाई होगी। राज्य सम्मेलन विभिन्न राज्य इकाईयों की सर्वोच्च इकाई होगी। इसी प्रकार, किसी भी स्तर विशेष पर संगठन की सर्वोच्च इकाई उस स्तर का सम्मेलन होगा।
2. अखिल भारतीय सम्मेलन आमतौर पर हर दो वर्ष बाद आयोजित किया जायेगा।
3. एस.एफ.आई. से संबद्ध इकाईयाँ अपने सम्मेलनों में आनुपातिक वोट के द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुनेंगीं। एस.एफ.आई. के सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चयन उसके तहत आने वाली निचले स्तर की इकाईयों के सम्मेलनों या संगठनात्मक अधिवेशनों (कन्वेंशनों) के द्वारा किया जाएगा। संगठनात्मक अधिवेशनों के माध्यम से प्रतिनिधियों के चयन के मामले में उच्च कमेटी का पूर्व अनुमोदन जरूरी होगा। किसी इकाई से सम्मेलन के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या उस इकाई की कुल सदस्यता के एक निश्चित अनुपात में होगी। संगठन के विभिन्न स्तरों पर उस स्तर विशेष की कार्यकारिणी या कमेटी अपने स्तर के सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों और सदस्यता के अनुपात के बारे में फैसला करेगी।
4. सम्मेलन की कार्यसूची और उसके संचालन के तौर-तरीके के बारे में सम्मेलन ही अंतिम फैसला करेगा और सम्मेलन की कार्यवाही के संचालन के लिए संचालन कमेटी और अध्यक्ष मंडल का चुनाव करेगा।
5. सम्मेलन, पिछले सम्मेलन तक की अंतरिम अवधि के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की कार्ययोजना को स्वीकृत करेगा।
6. एक सम्मेलन से दूसरे सम्मेलन तक निवर्तमान कमेटी द्वारा किये गये कार्यों की रिपोर्ट एवं सालाना आय-व्यय का लेखा-जोखा सम्मेलन में प्रस्तुत किया जायेगा।
7. सम्मेलन नई कार्यकारिणी का चुनाव करेगा और उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित करेगा।

8. सर्वसम्मति न बन पाने की स्थिति में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान का सहारा लिया जायेगा।

कार्यकारिणी

1. दो सम्मेलनों के बीच की अवधि में कार्यकारिणी या कमेटी संगठन की सर्वोच्च इकाई होगी।
2. कार्यकारिणी सम्मेलन के फैसलों को लागू करेगी।
3. कार्यकारिणी, कार्य को संचालित करने के लिए संविधान के अनुरूप नियमावली तैयार करेगी।
4. केंद्रीय कार्यकारिणी की एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होनी चाहियें और बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले भेज दी जानी चाहिये। यदि कार्यकारिणी के कम से कम एक तिहाई सदस्य बैठक बुलाने की मांग करें तो ऐसा होने पर दो महीने के भीतर बैठक बुलानी होगी। यदि किसी बैठक में एक तिहाई से ज्यादा सदस्य मौजूद हों तो उस बैठक के फैसलों को वैध माना जायेगा।
5. यदि कार्यकारिणी में कोई जगह रिक्त हो जाती है तो कार्यकारिणी सहयोजन (कोऑप्शन) कर उसे भर सकती है।
6. कार्यकारिणी के प्रत्येक सदसय को सालाना एक रूपया शुल्क देना होगा।
7. कार्यकारिणी अपने कार्य संचालन के लिए विभिन्न उपसमितियों का गठन कर सकती है।
8. कार्यकारिणी अपने निर्वाचन के बाद एक अध्यक्ष, एक महासचिव और उपाध्यक्षों व संयुक्त सचिवों का चुनाव करेगी। उपाध्यक्षों व संयुक्त सचिवों की संख्या का निर्धारण भी कार्यकारिणी करेगी। केंद्रीय सचिव मंडल के कुल सदस्यों की संख्या, कार्यकारिणी की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगी।
9. कार्यकारिणी स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के मुखपत्र के संपादक मंडल का गठन करेगी या सचिव मंडल आवश्यक जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा।
10. कार्यकारिणी, सचिव मंडल के किसी एक सदस्य को फंड की देख-रेख की जिम्मेदारी दे सकती है।
11. कार्यकारिणी में सभी संबद्ध राज्य इकाईयों का प्रतिनिधित्व होगा।
12. अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारिणी कमेटी के कार्यों का संचालन करेगा।
13. कार्यकारिणी कमेटी के निर्णयानुसार अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जायेगा।
14. कार्यकारिणी को अपने किसी सदस्य या पदाधिकारी द्वारा गलत आचरण या संगठन विरोधी गतिविधियाँ करने पर उसे हटाने, निलंबित करने या निष्कासित करने का

अधिकार होगा।

सचिव मंडल

1. सचिव मंडल में पदाधिकारी शामिल होंगे। सचिवमंडल दो कार्यकारिणी बैठकों के बीच कार्य का संचालन करेगा।
2. सचिव मंडल से राय-मशविरा करने के बाद महासचिव कार्यकारिणी कमेटी की बैठक बुलायेगा।

संविधान में परिवर्तन

1. केवल अखिल भारतीय सम्मेलन ही संविधान में संशोधन या उसमें परिवर्तन कर सकता है।
2. किसी सदस्य या इकाई द्वारा संविधान में संशोधन के प्रस्ताव का नोटिस अखिल भारतीय सम्मेलन से कम से कम दो महीने पहले केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी को दिया जाना चाहिए। इन प्रस्तावित संशोधनों को केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन से कम से कम एक महीने पहले राज्य इकाईयों को भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
3. कार्यक्रम और संविधान में संशोधन के लिए प्रस्तावित तमाम सुझावों को सम्मेलन में मौजूद कुल प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई प्रतिनिधियों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है ।

संविधान में अंतर्निहित नियम

1. संविधान में अंतर्निहित नियमों में केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
2. संगठन से संबद्ध इकाईयाँ और राज्य कमेटियाँ अपना अलग संविधान बना सकती हैं लेकिन ऐसे संविधान के द्वारा स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के संविधान का अतिक्रमण या उससे टकराव नहीं होना चाहिए।
3. संगठन के सदस्यों के अधिकारों को सुनिश्चित रखने के लिए प्राथमिक इकाई कमेटियों को नियमित अंतराल पर सदस्यों की आम सभाओं का आयोजन करना चाहिए और आम सभा में आये सुझावों का संज्ञान लेते हुए प्राथमिक इकाई कमेटियों को जरूरी बदलाव या दुरूस्तीकरण करना चाहिए। मगर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये आम सभायें सालाना इकाई सम्मेलन का पर्याय नहीं हो सकतीं।

4. आम सभाओं के आयोजन को सार्थक बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि एक प्राथमिक इकाई के तहत सदस्यता संख्या को सीमित रखा जाये। यह स्पष्ट ही है कि इकाई गठन के लिए संस्था का आधार सर्वदा उपयुक्त नहीं है। इकाई गठन के लिए नये आधार को उच्च स्तरीय कमेटी के साथ विचार-विमर्श कर तय किया जाना चाहिये।
5. संगठन के संचालन में जनवादी अधिकारों को अख्तियार करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तर की कमेटियों के अधिकारों और कर्तव्यों के दायरे को परिभाषित किया जाये। विभिन्न कमेटियों के अधिकार इस प्रकार हैं:

1) प्राथमिक इकाई को संस्था स्तर पर या अपने परिभाषित कार्य क्षेत्र में वहाँ से ताल्लुक रखने वाले मुद्दों पर फैसले लेने का पूर्ण अधिकार होगा। लेकिन ऐसे किसी फैसले के द्वारा प्राथमिक इकाई के कार्य क्षेत्र के बाहर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
2) लोकल कमेटी को अपने कार्य क्षेत्र के दायरे में संबंधित मुद्दों पर फैसले लेने का पूर्ण अधिकार होगा, मगर संबंधित निर्णय लोकल कमेटी के कार्य क्षेत्र की सीमा से बाहर प्रभावी नहीं होगा।
3) एरिया/जोनल कमेटियों को अपने कार्य क्षेत्र के दायरे में संबंधित मुद्दों पर फैसले लेने का पूर्ण अधिकार होगा, लेकिन संबंधित निर्णय इन कमेटियों के कार्य क्षेत्र की सीमा के बाहर प्रभावी नहीं होंगे।
4) जिला कमेटी को पूरा अधिकार है कि वह संबंधित मुद्दों पर फैसले ले। लेकिन जिला कमेटी का फैसला उस कमेटी के कार्य क्षेत्र की सीमा के भीतर ही प्रभावी होगा।
5) राज्य कमेटी को राज्य स्तर पर संबंधित मुद्दों पर फैसले लेने का पूर्ण अधिकार होगा। लेकिन उसका कोई भी फैसला इसके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर ही प्रभावी होगा। राज्य कमेटी को पत्रिकाएं प्रकाशित करने का अधिकार है। राज्य कमेटी के नीचे की कमेटियों को ऐसा करने के लिए राज्य कमेटी से मंजूरी लेनी होगी।
6) केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम मुद्दों पर फैसले लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद छात्र आंदोलन की नई और भिन्न परिस्थितियों में, क्षेत्रीय आधार पर उभर रहीं, जनवादी तौर तरीकों की हिमायती, नई छात्र संरचनाओं के साथ मेल मिलाप के लिए उन्हें संगठनात्मक जगह उपलब्ध कराने में संबद्धता की मौजूदा कार्यप्रणाली (मैकेनिज्म) नाकाफी है। देश के संयुक्त और जनवादी छात्र आंदोलन की प्रगति के लिए इन छात्र संरचनाओं को परामर्शक का दर्जा देना जरूरी है। केंद्रीय कार्यकारिणी को इस विषय में, मामले विशेष के मूल्यांकन के आधार पर ठोस फैसले लेकर एक सटीक कार्यप्रणाली (मैकेनिज्म) तैयार करने का पूर्ण अधिकार होगा।